"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2017 —— पौष 16, शक 1938

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2017

अधिसूचना

क्र. एफ 1–23/2009/35/स्था. -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा तृतीय श्रेणी (कार्यपालक तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों की प्रस्तावना में,–

1. शब्द, चिन्ह तथा कोष्टक "छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा तृतीय श्रेणी (कार्यपालक तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा" के स्थान पर, शब्द, चिन्ह तथा कोष्टक "छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग तृतीय श्रेणी (कार्यपालक तथा अलिपिक वर्गीय पशु चिकित्सा) सेवा" प्रतिस्थापित किया जाये।

उक्त नियमों में,–

2. नियम 1 के उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1) ये नियम छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग तृतीय श्रेणी (कार्यपालक तथा अलिपिक वर्गीय पशु चिकित्सा) सेवा भर्ती नियम, 2009 कहलायेंगे।"

3. नियम 2 के खण्ड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग तृतीय श्रेणी (कार्यपालक तथा अलिपिक वर्गीय पशु चिकित्सा) सेवा;"

4. नियम 8 के खण्ड (एक) के उप–खण्ड (ङ) का लोप किया जाये।

5. अनुसूची–तीन के सरल कमांक 2 के कॉलम (2) के शीर्षक "सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी" के सामने कॉलम (7) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से जीव विज्ञान विषय के साथ (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा जीव विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान विषय के साथ स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

2. किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय या संस्था से पशुपालन में डिप्लोमा पाठ्यकम उत्तीर्ण।

3. विभागीय पदोन्नति हेतु, स्थापना के नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव तथा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से जीव विज्ञान विषय के साथ (10+2) परीक्षा सहित पशुपालन में डिप्लोमा पाठ्यकम उत्तीर्ण होना चाहिये।"

No. F 1-23/2009/35/Estt. – In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Veterinary Class III (Executive and Non-Ministerial) Services Recruitment Rules, 2009, namely :-

AMENDMENT

In the preamble to the said rules,-

1. for the words, symbol and parentheses "the Chhattisgarh Veterinary Class-III (Executive and Non-Ministerial) Service", the words, symbol and parentheses "the Chhattisgarh Livestock Development Department Class-III (Executive and Non-Ministerial Veterinary) Services" Shall be substituted.

In the said rules, -

2. For sub-rule (1) of rule 1, the following shall be substituted, namely:-

"(1) These rules may be called the Chhattisgarh Livestock Development Department Class III (Executive and Non-Ministerial Veterinary) Service Recruitment Rules, 2009."

3. For clause (j) of rule 2, the following shall be substituted, namely:-

"(j) "Services" means the Chhattisgarh Livestock Development Department Class-III (Executive and Non-Ministerial Veterinary) Services;"

4. Sub-clause (e) of clause (I) of rule 8 shall be omitted.

5. For entries of column (7) against Heading "Assistant Veterinary Field Officer" of column (2) of serial number 2 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely:-

"1. Passed, (10+2) Examination from any recognized Board/Institution with Biology as a subject.

OR

Passed old Higher Secondary Examination with Biology as a subject and passed first year examination of Graduation Course from any recognized University with Biology as a Subject.

2. Passed diploma course in Animal Husbandry from any recognized Indian or Foreign University or Institution.

3. For Departmental Promotion, 5 years experience as regular Class-IV employee of the establishment and should have passed diploma courses in Animal Husbandry alongwith (10+2) Examination from any recognized Board/Institution with Biology as a subject."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.